



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2019/माघ 24, 1940

No. 91]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019/MAGHA 24, 1940

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

**सा.का.नि. 107(अ).**—मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के खंड 6 के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 580(अ) का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्र सरकार एतद्वारा तेल विपणन कंपनियों को दस प्रतिशत अथवा भारतीय मानक विनिर्देशन ब्यूरो के अनुसार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्रतिशतता में निम्नलिखित राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विक्रय करने का निदेश देती है, नामतः

राज्य	
1	आन्ध्र प्रदेश
2	अरुणाचल प्रदेश
3	असम
4	बिहार
5	छत्तीसगढ़
6	गोवा
7	गुजरात
8	हरियाणा
9	हिमाचल प्रदेश
10	जम्मू व कश्मीर
11	झारखंड

12	कर्नाटक
13	केरल
14	मध्य प्रदेश
15	महाराष्ट्र
16	मणिपुर
17	मेघालय
18	मिजोरम
19	नागालैंड
20	ओडिशा
21	पंजाब
22	राजस्थान
23	सिक्किम

24	तमिलनाडु
25	तेलंगाना
26	त्रिपुरा
27	उत्तर प्रदेश
28	उत्तराखण्ड
29	पश्चिम बंगाल

केन्द्र शासित प्रदेश	
1	दमन व दीव
2	दादरा व नागर हवेली
3	चण्डीगढ़
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
5	पुदुच्चेरी

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।

3. केन्द्र सरकार, तथ्यों पर विधिवत विचार करने के बाद स्वतः अपनी प्रेरणा से अथवा दिए गए किसी संदर्भ पर, किसी ओदश द्वारा क्षेत्रों तथा आपूर्ति किए जा सकने वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में एथेनॉल की प्रतिशतता को संशोधित कर सकती है तथा इसके लिए अवधि का उल्लेख कर सकती है।

[फा. सं. पी-13032(17)/13/2018-सीसी (पी-27133)]

संदीप पौण्डरीक, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2019

**G.S.R. 107(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 6 of Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices), Order, 2005, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number G.S.R. 580 (E) dated 20<sup>th</sup> September, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs Oil Marketing Companies to sell ten per cent ethanol blended petrol, or any percentage specified by the Government, as per Bureau of Indian Standards specifications, in the following States and Union Territories, namely :—

States	
1	Andhra Pradesh
2	Arunachal Pradesh
3	Assam
4	Bihar
5	Chhattisgarh
6	Goa
7	Gujarat
8	Haryana
9	Himachal Pradesh
10	Jammu and Kashmir
11	Jharkhand
12	Karnataka
13	Kerala
14	Madhya Pradesh
15	Maharashtra

16	Manipur
17	Meghalaya
18	Mizoram
19	Nagaland
20	Odisha
21	Punjab
22	Rajasthan
23	Sikkim
24	Tamil Nadu
25	Telangana
26	Tripura
27	Uttar Pradesh
28	Uttarakhand
29	West Bengal

Union Territories	
1	Daman and Diu
2	Dadra and Nagar Haveli

3	Chandigarh
4	NCT of Delhi
5	Puducherry

2. This Notification shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> April, 2019.
3. The Central Government may, *suo motu*, or on a reference made to it, after due consideration of facts, by an order, modify the areas and the percentage of ethanol in the ethanol blended petrol that may be supplied and specify the period for the same.

[F. No. P-13032(17)/13/2018-CC (P-27133)]

SANDEEP POUNDRIK, Jt. Secy.